तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-2-17	वकील अपीलांट उपस्थित। वकील रिस्पोन्डेन्ट उपस्थित। बहस को समय चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27-4-17 को पेश हो।	
27-4-17	वकील अपीलांट उपस्थित। वकील रिस्पोन्डेन्ट उपस्थित। बहस को समय चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 1-8-17 को पेश हो।	
01-8-17	वकील अपीलांट उपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट उप० पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 26-10-17 को पेश हो। P.O. सा मुख्यालय जोधपुर बिराजते हैं।	
26-10-17	वकील अपीलांट उपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट उप० पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 30.1.18 को पेश हो। P.O. साहब मुख्यालय जोधपुर बिराजते हैं।	
30.01.2018	वकुलाय उपस्थित। वकील अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्रकरण में जो प्राथमिक डिक्रीं जारी की, उस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होने के कारण अपील विड्रो की गई। विभाजन से दोनो पक्ष सहमत नही है एवं मौके की स्थिति अनुसार पक्षकारान में विभाजन करवाने हेतु जैर अपील निर्णय को अपास्त करवा कर प्रकरण पुनः प्रेषित कर विभाजन करवाने हेतु पक्षकारान सहमत है एवं विधि अनुसार सही एवं मौके के अनुरूप विभाजन हेतु अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री अपास्त करावें एवं पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने इस प्रार्थना पत्र पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि माफिक प्रार्थना पत्र जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है, तो उन्हे किसी प्रकार की आपत्तिं नहीं है। प्रार्थना पत्र में दर्शित तथ्यों एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर हस्तगत अपील को माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर निस्तारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2012 (समेकित 26/2012) में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.02.2014 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड वास्ते पालनार्थ भिजवाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	